

EAST CENTRAL RAILWAY

Notification No: ECR/HRD/Gaz/Med./CMP/Pt-I/2018 Dated: 27.11.2018.

“Walk-in-Interview” for engagement of General Duty Doctors and Specialist Doctors on contract basis.

1. “Walk-in-Interview” will be conducted by East Central Railway for engagement of full time General Duty Medical Practitioner/Specialists for Central cum Super Specialty Hospital/Patna. Willing Doctors who fulfill the qualification/eligibility criteria specified below may apply for the above engagement. The engagement will be purely on Contract basis for the period of one year which can be renewed as a fresh contract on year to year basis (not extendable beyond 12 years) or till the post filled by regular Doctors selected from UPSC or the scheme is available whichever is earlier.
2. Specialists Doctor & GDMO (Full time)

(A) Vacancies :

(A) Vacancies				
SN	Post	HQ/Division/Unit	Vacancies	Remarks
1	CMP(Specialist)	Central Cum Super Specialty Hospital/Patna	01	MD(Medicine)
2	CMP(Specialist)		01	MS(Ortho)
3	CMP/GDMO		02	GDMO MBBS with 02 years experience preferably in ICU/Nephrology/ Emergency duty preferably or any other Speciality
Total -			04	

(B) Qualification for Specialists:

- (a) Degree/Diploma in corresponding specialty mentioned above in remarks column.
- (b) Should be registered with Medical Council of India/Medical Council of State.

(C) Qualification for GDMO :

- (a) MBBS with 02 years experience preferably in ICU/Nephrology/Emergency duty or any other speciality.
- (b) Registered with Medical Council of India/Medical Council of State.

(D) Remuneration for Specialists :

Rs.95,000/ (Rupees Ninty Five thousand only) for the 1st Year; Rs.105,000/ (Rupees One Lakh Five thousand only) for 2nd Year & onward per month, if Railway accommodation is not provided. If Railway accommodation is provided, deduction will be made from the monthly remuneration equivalent to House Rent Allowance payable on minimum pay to Senior Scale officer (Level-11 in 7th CPC) and fixed license fee for accommodation.

(E) Remuneration for GDMO:

Rs.75,000/ (Rupees Seventy five thousand only) per month, if Railway accommodation is not provided. If Railway accommodation is provided, deduction will be made from the monthly remuneration equivalent to House Rent Allowance payable on minimum pay to Junior Scale officer (Level-10 in 7th CPC) and fixed license fee for accommodation.

Contd...P/2

Handwritten notes:
B/T
25/11/18
[Signature]

Handwritten signature:
[Signature]

Contd... from P/1

3. **Age limit:** - Not exceeding 53 years as on 01.11.18 for both ie. Specialist & General Duty Doctors, which is relaxable by 05 (five) years for candidates belonging to SC/ST community & 03 (three) years for OBC as the case may be.
4. **Community break-up of total vacancies** : UR-01; SC-01;ST-01 & OBC-01 (Total – 04)
5. **Schedule & Venue of Walk-in-Interview** :

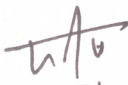
SN	Place of Walk-in-Interview	Date of Walk-in-Interview	Time
1	Central cum Super Specialty Hospital/ECR/Patna	17.12.2018	11.00 AM

6. Retired IRMS officers, Retired Government Medical Officers of State Government and Central Government may also apply against above vacancies. The condition will be as under:-
- (i) **Age:-** Not exceeding 65 years as on the date of engagement.
- (ii) **Qualification:-** Degree/Diploma in *corresponding specialty* mentioned in remarks column above for Specialists and for GDMP, the minimum qualification required is MBBS.
- (iii) **Remuneration:-** Fixed remuneration of Rs.46000/ (Forty Six Thousand only) per month, subject to condition that remuneration + pension should not exceed the last pay drawn by Retired Doctors.
- (iv) Terms and condition will be followed as mentioned in Railway Board's L.No:2008/E(GR)II/1/1 dated-16.07.12 , Rly.Bd's L.No-2013/E(GR)II/1/5 dated-20.05.14, L.No.2014/E(GR)II/1/1 dt-13.06.17 & Rly.Bd's L.No 2018/Terms.Cell/Health/Medical Issues dated-24.08.2018 .

7. **How to apply:-**

Candidates intending to join as Contract Medical Practitioner should apply on prescribed format (enclosed) and submit the same up to 10.30 A.M on the date of interview at the venue along with self attested photocopies of following documents and attend the "Walk-in-Interview" with original certificates mentioned below –

- (a) Proof of age.
- (b) Proof of passing MBBS, Internship, Degree, Diploma & other educational qualifications and certificate regarding experiences.
- (c) Proof of registration in Indian Medical Council/Medical Council of State.
- (d) Proof of caste in case of SC/ST candidate & non-creamy layer certificate in case of OBC candidates. (only on prescribed format for Central Government will be accepted in case of OBC).
- (e) Mark Sheet(s) of relevant qualification(s).
- (f) 04 (four) copies of recent passport size photograph with self signature.
- (g) Original Pension Payment Order book & self attested copy of the same in case of Retd. Doctor.


27/11/18

Contd...P/3

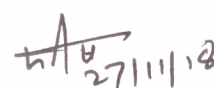
Contd... from P/2

8. General Conditions and other facilities:-

- (a) In the event of absence from duty, deduction from the remuneration will be applicable @ daily rate of proportionate of remuneration.
- (b) Railway administration has legitimate right to transfer the engaged CMP(s) any where over E.C.Railway in case of administrative exigency.
- (c) One set of 1st class complementary pass for self and family shall be issued during each contract period after completion of three months of regular contract service. Contract Medical Practitioner can avail free medical treatment on E.C.Railway Hospital for self only.
- (d) No TA/DA will be paid to the candidates for attending the interview.
- (e) Selected candidates will be posted at Cental cum Super Speciality Hospital, East Central Railway/Patna.
- (f) CMP will have no right of posting against regular vacant post or transfer at his own request.
- (g) CMP is not be allowed private practice after sanction of contract.
- (h) The candidates working in any Medical Organization/State Govt. should submit their applications through proper channel with "No Objection Certificate".
- (i) There may be change in numbers of vacancies and place of posting as specified above depending upon administrative requirement. Offer of posting will be made on the basis of availability of vacancies at the time of engagement.
- (j) Posts indicated herein may be kept unfilled at the discretion of Railway administration.
- (k) Contract Medical Practitioners engaged on contract basis in the Railway will not have any claim or right for his/her continuity in service or automatic extension of the term of contract service. The service rendered as CMP will not confer the right to take waitage for regular selection through UPSC and also will not confer any right for regularization or absorption.
- (l) If Railway accommodation is provided to the CMPs subject to availability and after meeting the requirement of serving Railway officers, an amount equivalent to HRA payable to afresh entrant to Group 'A' Junior Scale/Sr.Scale and license fee of the Railway accommodation will be deducted from the monthly remuneration payable to the Contract Medical Practitioner.
- (m) In case Specialists are not available against the vacancies as notified, Railway Administration reserves the right to engage General Duty Doctors against these vacancies.
- (n) Offer of engagement will be issued in favour of selected candidates. The candidates should report within 15 days from the date of issue of offer letter. For candidates not reporting within stipulated time, offer may be cancelled.
- (o) Contract of the CMPs can be terminated by the Railway at any time during the contract period by giving 15 days notice without assigning any reason as per the terms and condition laid down in Railway Board's L.No:2007/H/1/1 dt-16.10.08; L.No:96/E(GR)II/9/16 dt-23.02.2000; L.No:2013/E(GR)II/1/5 dt-20.05.14; L.No.2014/E(GR)II/1/1 dt-13.06.17 & Rly.Bd's L.No 2018/Terms.Cell/Health/Medical Issues dated-24.08.2018

9. Candidates should report with original relevant document for "Walk-in-Interview" at the venue mentioned above at 09.30 Hrs. to 10.30 Hrs. on the date of interview positively otherwise their application will not be entertained.
10. Notification & other information regarding engagement of CMP may be downloaded from E.C.Railway's website www.ecr.indianrailways.gov.in. (Click Hajipur>Personnel>Recruitment/Selection/Notification).

DA: Application format.



(Manish Chandra)

Dy. CPO/GAZ.

For General Manager (P)/ECR/HJP

PROFORMA FOR APPLICATION

To,
Dy.Chief Personnel Officer (Gaz.),
East Central Railway/Hajipur.

Sub:- Engagement of full time Contract Medical Practitioner on Contract Basis.
Ref:- GM(P)/E.C.Railway/Hajipur's notification No:ECR/HRD/GAZ/Med./CMP/Pt-I/2018
dated-27.11.2018.

As per above notification, I hereby apply as a candidate for engagement of full time Contract Medical Practitioner on contract basis. My personal Bio-data is as under:-

1. Name :
2. Father/Husband's name :
3. Date of birth :
4. Age as on -01.11.2018 :
5. Community (UR/OBC/SC/ST) :
6. Address of communication :
7. Telephone number/Mobile number & E-mail address:.....
.....
8. Nationality :
9. Educational qualification/Professional Qualification :

Affix here self
attested
passport size
photograph

Particular of Examination	Result (year)	Medical University	Number of attempts	Percentage of marks

10. Date of completion of Internship :

11. Particulars of working as Contract Medical Practitioner, if served earlier :

Name of Railway	Engagement/Contract station	Period of contract	
		From	To

12. Registration No. of Medical Council of India/State:.....

I hereby declare that the particulars given above are correct. If any information given by me is found incorrect/false at any stage, my selection/engagement is liable to be terminated without any further notice to me and action may be taken against me under criminal/civil law.

13. List of enclosure :

Signature of the candidate

Full name :

Address :

Place :

Date :

PROFORMA FOR APPLICATION FOR RETIRED DOCTORS

To,
Dy.Chief Personnel Officer (Gaz.),
East Central Railway/Hajipur.

Sub:- Engagement of full time Contract Medical Practitioner on Contract Basis.
Ref:- GM(P)/E.C.Railway/Hajipur's notification No:ECR/HRD/GAZ/Med./CMP/Pt-I/2018
dated-27.11.2018.

As per above notification, I hereby apply as a candidate for engagement of full time Contract Medical Practitioner on contract basis. My personal Bio-data is as under:-

1. Name :
2. Father/Husband's name :
3. Date of birth :
4. Age as on -01.11.2018 :
5. Retirement date :
6. Post & place at the time of retirement:.....
(In case of retired doctors)
7. Last pay drawn :
8. Pension drawn as on 01.11.18 :
9. Community (UR/OBC/SC/ST) :
10. Address of communication :
11. Telephone number/Mobile number & E-mail address:.....
.....
12. Nationality :
13. Educational qualification/Professional Qualification :

Affix here self
attested
passport size
photograph

Particular of Examination	Result (year)	Medical University	Number of attempt	Percentage of marks

14. Date of completion of Internship :

15. Particulars of working as Contract Medical Practitioner, if served earlier on Railway(s):

Name of Railway	Engagement/Contract station	Period of contract	
		From	To

16. Registration No. of Medical Council of India/State :

I hereby declare that the particulars given above are correct. If any information given by me is found incorrect/false at any stage, my selection/engagement is liable to be terminated without any further notice to me and action may be taken against me under criminal/civil law.

17. List of enclosure :

Signature of the candidate
Full name :
Address :

Place :
Date :

अनुबंध के आधार पर सामान्य ड्यूटी चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु 'वॉक-इन-इंटरव्यू' (Walk-in-Interview)

- पूर्णकालिक विशेषज्ञ / सामान्य ड्यूटी चिकित्सकों के लिए 'वॉक-इन-इंटरव्यू' (Walk-in-Interview) का आयोजन पूर्व मध्य रेल के केन्द्रीय सह सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सालय/पूरु/पटना के लिए किया जा रहा है। इच्छुक चिकित्सक जो निम्न वर्णित शैक्षणिक योग्यता/निर्धारित योग्यता रखते हों, वे 'वॉक-इन-इंटरव्यू' के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नियुक्ति पूर्णतः ठेके के आधार पर 01 वर्ष के लिए होगी तथा वर्षवार इसका नवीनीकरण नये अनुबंध के रूप में अधिकतम 12 वर्ष तक या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चिकित्सकों के चयन द्वारा पदों के भरे जाने तक या योजना लागू रहने तक, जो भी पहले हो, हो सकता है।
- सामान्य ड्यूटी चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों (पूर्णकालिक)

(क) रिक्तियों:-

क्रम सं.	पद	मुख्यालय/मंडल/युनिट	रिक्तियाँ	अभियुक्ति
1	सीएमपी (विशेषज्ञ)	सेन्ट्रल सह सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय/पटना	01	एमडी(मेडिसीन)
	सीएमपी (विशेषज्ञ)		01	एम.एस (ऑर्थो)
	सीएमपी/जीडीएमओ		02	सामान्य ड्यूटी चिकित्सक एम.बी.बी.एस. एवं दो वर्ष का अनुभव जिसमें आईसीयू / नेफ्रोलॉजी / इमरजेसी ड्यूटी को प्राथमिकता दी जाएगी।
			04	

(ख) विशेषज्ञचिकित्सक के लिए योग्यता:-

- (1) अभ्युक्ति कॉलम में वर्णित डिग्री/डिप्लोमा के अनुरूप विशेषज्ञता।
- (2) इण्डियन मेडिकल कॉउन्सिल/मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ स्टेट में पंजीकृत होना चाहिए।

(ग) सामान्य ड्यूटी चिकित्सक के लिए योग्यता:-

- (1) एम.बी.बी.एस. एवं दो वर्ष का अनुभव जिसमें आईसीयू/नेफ्रोलॉजी/इमरजेसी ड्यूटी को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (2) इण्डियन मेडिकल कॉउन्सिल/मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ स्टेट में पंजीकृत होना चाहिए।

(घ) विशेषज्ञचिकित्सक के लिए मानदेय:-

रु. 95,000/(रुपये पंचानवे हजार मात्र) प्रति माह पहले वर्ष के लिए, रु. 1,05,000/(एक लाख पाँच हजार रुपये मात्र) प्रति माह दूसरे एवं अगले वर्ष के लिए, यदि रेलवे आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है। यदि रेलवे आवास उपलब्ध कराया जाता है तो निर्धारित मानदेय से आवास शुल्क के रूप में अवर वेतनमान अधिकारी (लेवल -11/7वें वेतन आयोग) के न्यूनतम वेतन स्तर पर दिया जाने वाला आवास किराया भत्ता के समतुल्य राशि एवं आवंटित आवास के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क के बराबर कटौती की जाएगी।

(ड) सामान्य ड्यूटी चिकित्सकों के लिए मानदेय:-

रु. 75,000/(रुपये पच्चीस हजार मात्र) प्रति माह, यदि रेलवे आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है। यदि रेलवे आवास उपलब्ध कराया जाता है तो निर्धारित मानदेय से आवास शुल्क के रूप में अवर वेतनमान अधिकारी (लेवल -10/7वें वेतन आयोग) के न्यूनतम वेतन स्तर पर दिया जाने वाला आवास किराया भत्ता के समतुल्य राशि एवं आवंटित आवास के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क के बराबर कटौती की जाएगी।

क्रमशः...पृ/2



3. **उम्र सीमा:-** सामान्य ड्यूटी चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए 01.11.18 को 53 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अजा/अजजा समुदाय के अभ्यर्थियों के मामले में 05 वर्ष एवं अपिजा के लिए 03 वर्ष तक की छूट नियमानुसार दी जाएगी।
4. कुल रिक्तियों का समुदायवार विवरण: सामान्य-01; अजा-01; अजजा-01 एवं अपिव-01 (कुल-04)
5. 'वॉक-इन-इंटरव्यू' की तिथि एवं स्थान :

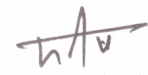
क्र.सं.	'वॉक-इन-इंटरव्यू' का स्थान	'वॉक-इन-इंटरव्यू' दिनांक	समय
1	सेन्ट्रल सह सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय/ पूमरे/पटना	17.12.2018	11:00 बजे

6. सेवानिवृत्त आई.आर.एम.एस. अधिकारी, राज्य तथा केन्द्र सरकार से सेवानिवृत्त चिकित्सक भी उपरोक्त रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। शर्तें निम्नवत होंगी -
- (क) **आयु:-** ठेके पर नियुक्ति के समय 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ख) **योग्यता:-** विशेषज्ञों के लिए संबंधित विशेषज्ञता अभ्युक्ति कॉलम में दर्शाये गए डिग्री/डिप्लोमा तथा सामान्य ड्यूटी चिकित्सक (पूर्णकालिक) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एम.बी.बी.एस. होगी।
- (ग) **मानदेय:-** नियत मानदेय रु. 46000/ (रुपये छियालीस हजार) प्रतिमाह होगा। यह मानदेय इस शर्त के साथ देय होगा कि मानदेय + पेंशन का योग आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा।
- (घ) इनके मामले में रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-2008/ई(जीआर)।।/1/1 दिनांक-16.07.12, पत्र सं०-2013/ई(जीआर)।।/1/5 दिनांक-20.05.14, पत्र सं०-2014/ई(जीआर)।।/1/1 दिनांक-13.06.17 और पत्र सं०-2018/ट्रांस सेल/हेल्थ/मेडिकल ईश्यु दिनांक-24.08.18 में उल्लेखित नियम एवं शर्तें लागू होगी।

7. आवेदन कैसे करें :-

जो अभ्यर्थी अनुबंध के आधार पर पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में सेवा देने के इच्छुक हों, वे निर्धारित प्रपत्र पर साक्षात्कार की तिथि को 10.30 बजे तक प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित छाया प्रति के साथ आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्रों के साथ शामिल हों :-

- (क) उम्र संबंधित प्रमाण पत्र।
- (ख) एम.बी.बी.एस. इंटरनशिप, डिग्री अथवा डिप्लोमा उत्तीर्ण होने एवं अनुभव संबंधित प्रमाण-पत्र।
- (ग) इंडियन मेडिकल कॉउन्सिल/मेडिकल कॉउन्सिल आफ स्टेट में पंजीयन से संबंधित प्रमाण पत्र।
- (घ) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा समुदाय के हों जो जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होने पर ओबीसी-क्रीमीलेयर में न होने का प्रमाण पत्र (केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में)।
- (ङ) संबंधित योग्यता से संबंधित अंक पत्र।
- (च) स्व-हस्ताक्षर वाले हाल ही के चार पासपोर्ट आकार के फोटो।
- (छ) सेवानिवृत्त चिकित्सक के मामले में पेंशन पेमेन्ट आर्डर की मूल तथा सत्यापित फोटो प्रति।


27/11/18

8. सामान्य शर्त एवं अन्य सुविधाएँ :-

- (क) अनुपस्थिति की स्थिति में मानदेय से आनुपातिक आधार पर दैनिक कटौती लागू होगी।
- (ख) अनुबंध के आधार पर नियुक्त मेडिकल प्रेक्टीशनर को प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार पूर्व मध्य रेल के किसी भी मंडल/यूनिट में स्थानान्तरण करने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ग) प्रत्येक ठेके की अवधि के दौरान तीन माह की लगातार सेवा देने के उपरांत एक सेट प्रथम श्रेणी मानार्थ पास स्वयं तथा परिवार के लिए जारी किया जाएगा। अनुबंधित चिकित्सक स्वयं की बीमारी के लिए पूर्व मध्य रेल के अस्पतालों में अपना ईलाज बिना शुल्क के करा सकते हैं।
- (घ) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- (ङ) चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना सेन्ट्रल सह सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय/पटना में की जाएगी।
- (च) अनुबंधित चिकित्सक को स्थायी रिक्त पद पर नियमित पदस्थापना अथवा स्वेच्छिक स्थानान्तरण के लिए अनुरोध करने का अधिकार नहीं है।
- (छ) अनुबंध के स्वीकृति के पश्चात् अनुबंधित चिकित्सकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।
- (ज) जो अभ्यर्थी पहले से किसी चिकित्सा संगठन/राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं, वे अपना आवेदन उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ जमा करेंगे।
- (झ) उपर विनिर्दिष्ट पदों की संख्या और पदस्थापना स्थल में प्रशासनिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है। अनुबंध आधारित पदस्थापना का प्रस्ताव तत्कालिक रिक्ति के आधार पर दिया जाएगा।
- (ञ) उपरोक्त अधिसूचित पदों को नहीं भरने का अधिकार प्रशासन के पास होगा।
- (ट) रेलवे के साथ अनुबंध करने वाले अनुबंधित चिकित्सकों को सेवा में बने रहने अथवा पूर्णकालिक अनुबंध के तौर पर की गई अनुबंध सेवा की शर्त में स्वतः विस्तार का कोई दावा अथवा अधिकार नहीं होगा। चिकित्सकों का संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयन हेतु विचार किए जाने में इस अनुबंध अवधि की कोई भारिता (weightage) नहीं होगी और न ही यह नियमितिकरण अथवा आमेसन का कोई अधिकार प्रदान करेगा।
- (ठ) यदि रेलवे आवास उपलब्ध कराया जाता है तो निर्धारित मानदेय से शुल्क के रूप में समूह 'क' के कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी /अवर वेतनमान अधिकारी के न्यूनतम वेतन स्तर पर दिया जाने वाला आवास किराया भत्ता के समतुल्य राशि एवं आबंटित आवास के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क की कटौती की जाएगी।
- (ड) विशेषज्ञों हेतु अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध यदि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस स्थिति में रिक्ति को सामान्य ड्यूटी चिकित्सकों द्वारा भरने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ढ) चयनित चिकित्सकों को बुलावा पत्र भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए पत्र जारी होने की तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के अंदर में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में बुलावा पत्र को रद्द समझा जाएगा।
- (ण) रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-2007/एच/1/1 दिनांक-16.10.08, पत्र सं०-96/ई(जीआर)।।/9/16 दिनांक -23.02.2000, पत्र सं०-2013/ई(जीआर)।।/1/5 दिनांक-20.05.2014 तथा पत्र सं०-2014/ई(जीआर)।।/1/1 दिनांक-13.06.17 में निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार रेलवे द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय 15 दिनों की नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।
9. अभ्यर्थियों को वाक्-इन-इंटरव्यू के दिन सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपरोक्त स्थान पर 09.30 बजे से 10.30 बजे के बीच उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. अधिसूचना एवं अन्य सूचना पूर्व मध्य रेल के वेबसाइट www.ecr.indianrailways.gov.in. (Click Hajipur>Personnel>Recruitment/Selection/Notification) से डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्नक: आवेदन का प्रारूप।


(मनीष चन्द्र)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राज०
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर

आवेदन का प्रारूप

सेवा में,
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राज.
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय :- पूर्व मध्य रेल में अनुबंध के आधार पर पूर्णकालिक चिकित्सकों की नियुक्ति ।
संदर्भ :- महाप्रबंधक(कार्मिक)/हाजीपुर का अधिसूचना सं. इसीआर/एचआरडी/राज/मेड/
सीएमपी/पार्ट- I/2018 दिनांक: 27.11.2018.

उपर्युक्त अधिसूचना के संदर्भ में मैं अनुबंध के आधार पर अनुबंधित चिकित्सक के रूप में चयन हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरा/मेरी बायो-डाटा निम्न प्रकार है :-

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. दिनांक 01.11.2018 को आयु :
5. जाति (अजा/अजजा/अपिव) :
6. पत्राचार का पता :
7. दूरभाष सं./मोबाईल सं0/ई.मेल पता :
8. राष्ट्रीयता :
9. शैक्षणिक योग्यता :

स्व-अभिप्रेमाणित
पासपोर्ट आकार के
फोटो चिपकाए

परीक्षा का विवरण	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विश्वविद्यालय	प्रयासों की संख्या	अंको का प्रतिशत

10. इंटर्नशिप पूरी होने की तिथि :
11. पूर्व में अनुबंध के आधार पर चिकित्सक के रूप में कार्य करने का विवरण(यदि हो) :

रेलवे का नाम	अनुबंध का स्टेशन	अनुबंध की अवधि	
		से	तक

12. इण्डियन मेडिकल कॉउन्सिल/मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ स्टेट द्वारा प्रदत्त पंजीकरण संख्या :

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में उपर दी गई सभी सूचनाएँ सत्य हैं । यदि उपरोक्त दी गई सूचनाओं में कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत या असत्य पायी जाती है तो मेरी सेवा बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी और मेरे विरुद्ध आपराधिक/सिविल कानून के अन्तर्गत कार्यवाई की जा सकती है ।

13. संलग्नकों की सूची :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
पूरा नाम
पता

स्थान :
दिनांक:

सेवानिवृत्त चिकित्सकों हेतु आवेदन का प्रारूप

सेवा में,
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राज.
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय :- पूर्व मध्य रेल में अनुबंध के आधार पर पूर्णकालिक चिकित्सकों की नियुक्ति ।
संदर्भ :- महाप्रबंधक(कार्मिक)/हाजीपुर का अधिसूचना सं. इसीआर/एचआरडी/राज/मेड/
सीएमपी/पार्ट- I/2018 दिनांक: 27.11.2018.

उपर्युक्त अधिसूचना के संदर्भ में मैं अनुबंध के आधार पर अनुबंधित चिकित्सक के रूप में चयन हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरा/मेरी बायो-डाटा निम्न प्रकार है :-

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. दिनांक 01.11.2018 को आयु :
5. सेवानिवृत्ति की तिथि :
6. सेवानिवृत्ति पर पद एवं पदस्थापना स्थल :
7. आहरित अंतिम वेतन :
8. दिनांक-01.11.18 को प्राप्त पेंशन :
9. जाति (अजा/अजजा/अपिव) :
10. पत्राचार का पता :
11. दूरभाष सं./मोबाईल सं0/ई.मेल पता :
12. राष्ट्रीयता :
13. शैक्षणिक योग्यता :

स्व-अभिप्रेमाणित
पासपोर्ट आकार के
फोटो चिपकाए

परीक्षा का विवरण	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विश्वविद्यालय	प्रयासों की संख्या	अंको का प्रतिष्ठत

14. इंटर्नशिप पूरी होने की तिथि :
15. पूर्व में अनुबंध के आधार पर चिकित्सक के रूप में कार्य करने का विवरण(यदि हो) :

रेलवे का नाम	अनुबंध का स्टेशन	अनुबंध की अवधि	
		से	तक

16. इण्डियन मेडिकल कॉउन्सिल/मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ स्टेट द्वारा प्रदत्त पंजीकरण संख्या :

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में उपर दी गई सभी सूचनाएँ सत्य हैं । यदि उपरोक्त दी गई सूचनाओं में कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत या असत्य पायी जाती है तो मेरी सेवा बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी और मेरे विरुद्ध आपराधिक/सिविल कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है ।

17. संलग्नकों की सूची :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
पूरा नाम
पता

स्थान :
दिनांक: